

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय  
महाप्रबन्धक (कार्मिक)  
गोरखपुर।

ई०पी०सं०-०३-२४

क्रमांक-198/2017

आरबीई सं०-106/2017

सं० ई/९/२/भाग-पेपर चार

दिनांक 18-09-2017

सचिव/महाप्रबन्धक  
सचिव/अपर महाप्रबन्धक  
सभी विभागाध्यक्ष  
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक  
सभी कार्मिक अधिकारी  
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक  
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना  
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:-ब्रेक डाऊन भत्ते की दरों में संशोधन।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं० ई(पी एण्ड ए)।।-2017/बीडीए-। दिनांक 30.08.2017 की हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(यू. पी० सिंह)  
उपमुख्य/अराज.  
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूडरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूडरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - 01 प्रति में।
- 5- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 6- मुख्याधी/एमपीपी को वेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

07 SEP 2017

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
रेलवे बोर्ड

198/2017

क्रम सं. पीसी-VII/51

आरबीई सं. 106/2017

सं. ई(पी एंड ए)II-2017/बीडीए-1

नई दिल्ली, दिनांक 30.08.2017

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,  
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयाँ आदि.

विषय: ब्रेकडाउन भत्ते की दरों में संशोधन.

\*\*\*\*\*

ब्रेकडाउन भत्ते के संबंध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के फलस्वरूप, बोर्ड ने विनिश्चय किया है कि इस मंत्रालय के पत्र सं. ई(पी एंड ए)II-2007/एफई-4/3 दिनांक 25.9.2009 जिसे बोर्ड के पत्र सं. ई(पी एंड ए)I-2011/एसपी-1/वि.1 दिनांक 13.6.2011 और सं. ई(पी एंड ए)I-2014/एसपी-1/सा.2 दिनांक 19.05.2014 द्वारा आगे संशोधित किया गया है. में दी गई ब्रेकडाउन भत्ते की दरें निम्नानुसार संशोधित की जाएं:-

| क्र. सं. | कोटि                                                                      | पे मैट्रिक्स में लेवल                           | ब्रेकडाउन भत्ते की राशि/माह |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.       | हेल्पर ग्रेड.II/ हेल्पर ग्रेड.I/अन्य ग्रुप 'डी' स्टाफ                     | लेवल 1 (1800)                                   | 270 रु. प्रतिमाह            |
| 2.       | तकनीशियन ग्रेड.III                                                        | लेवल 2 (1900)                                   | 405 रु. प्रतिमाह            |
| 3.       | तकनीशियन ग्रेड.II<br>तकनीशियन ग्रेड.I<br>पर्यवेक्षक (पूर्ववर्ती मिस्त्री) | लेवल 4 (2400)<br>लेवल 5 (2800)<br>लेवल 5 (2800) | 540 रु. प्रतिमाह            |
| 4.       | वरि.तकनीशियन/कनिष्ठ इंजीनियर एवं उच्चतर वेतनमानों में कर्मचारी            | लेवल 6 (4200) और अधिक                           | 675 रु. प्रतिमाह            |

2. ये आदेश 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होंगे.

3. संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्वारा निदेश देते हैं कि भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द- II, 1987 संस्करण (पुनर्मुद्रण संस्करण 2005) के नियम 1420 में संलग्न अग्रिम शुद्धि पृष्ठों सं. 61 के अनुसार संशोधन किया जाए.

4. इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त है तथा रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

संलग्नक:1

मो. सलीम अहमद  
(सलीम मोहम्मद अहमद)  
उप निदेशक स्था.(वे एवं भ)II  
रेलवे बोर्ड

1. भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द- II/1987 संस्करण (पुनर्मुद्रण संस्करण -2005) के नि 1420(1) के प्रथम पैरा और नियम 1420(1)(i) के नीचे तालिका के निम्न से प्रतिस्थापित किया जाए:-

(1) रनिंग शेडों और कैरिज एवं वैगन डिपो में नियुक्त अराजपत्रित रेल सेवक तथा पे मैट्रिक्स में लेवल 6 (4200 रु. ग्रेड पे) और अधिक तक के पदवाले पर्यवेक्षी कर्मचारियों सहित राहत यान बिजली कर्मचारी जो ब्रेकडाउन ड्यूटी करने के लिए निर्धारित हैं, (कैरिज एवं वैगन डिपो, लोको रनिंग शेड या बिजली राहत यान के पर्यवेक्षक प्रभारी को छोड़कर) को निम्नलिखित अनुमत होगा:-

(i) निम्नलिखित दरों पर ब्रेकडाउन भत्ता :-

| क्र. सं. | कोटि                                                                      | पे मैट्रिक्स में लेवल                           | ब्रेकडाउन भत्ते की राशि/माह |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.       | हेल्पर ग्रेड.II/ हेल्पर ग्रेड.I/अन्य ग्रुप 'डी' स्टाफ                     | लेवल 1 (1800)                                   | 270 रु. प्रतिमाह            |
| 2.       | तकनीशियन ग्रेड.III                                                        | लेवल 2 (1900)                                   | 405 रु. प्रतिमाह            |
| 3.       | तकनीशियन ग्रेड.II<br>तकनीशियन ग्रेड.I<br>पर्यवेक्षक (पूर्ववर्ती मिस्त्री) | लेवल 4 (2400)<br>लेवल 5 (2800)<br>लेवल 5 (2800) | 540 रु. प्रतिमाह            |
| 4.       | वरि.तकनीशियन/कनिष्ठ इंजीनियर एवं उच्चतर वेतनमानों में कर्मचारी            | लेवल 6 (4200) और अधिक                           | 675 रु. प्रतिमाह            |

2. भारतीय रेल स्थापना संहिता- जिल्द- II/1987 संस्करण (पुनर्मुद्रण संस्करण -2005) में नियम 1420 के लिए उप-नियम (i) में खंड(ख) के नीचे निम्नलिखित का लोप किया जाए:-

(ग) इस भत्ते की दर में 25% की वृद्धि होगी जब भी संशोधित वेतन संरचना पर देय महंगाई भत्ता 50% तक बढ़ जाएगा.

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का पत्र सं. ई(पी एंड ए)II-2017/बीडीए-1 दिनांक 30.08.2017)